

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी एक्ट वाद संख्या - 52/2022

एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० बनाम् रियाजुद्दीन मियाँ वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
------------------------------	---------------------------------	--

24.02.2023

—:: आदेश ::—

अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० द्वारा Under Section- of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act -2002 के तहत ऋणकर्ता 1. Riyajudin Miyan, S/o Puran Miyan, 2. Puran Miyan, S/o Annu Miyan, At-Millat nagar Barkatthi, Near Imam Bara Uttri Karma, P.O Karma, P.S Mandu, Dist-Ramgarh, State-Jharkhand, के विरुद्ध गिरवी रखे गये सम्पत्ति/भूमि निबंधन केवाला संख्या-13954, दिनांक-11.09.2006 से हासिल भूमि मौजा-करमा, थाना न०-176 थाना-माण्डू खाता न०-06/67/76 प्लॉट न०-4024/4175 रकबा-16½ डिसमील चौहद्दी उ०-पुरन मियाँ, द०-सौकत अली, पु०-मनसुर मियाँ, प०-समसुद मियाँ भूमि तथा भूमि पर बनी संरचना पर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु दायर आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए ऋणकर्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, माण्डू से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

नोटिस के उपरांत ऋणकर्ता द्वारा लगातार समय की मांग की गई उनके द्वारा न तो S/C दायर किया गया और न ही बहस किया गया। जिसके कारण विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ एवं प्राधिकृत पदाधिकारी, एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में एक पक्षीय सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया जा रहा है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि Under Sub-Section (2) of Section-13 of the SARFAESI Act-2002 के तहत बैंक के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। एवं बैंक के द्वारा ई-नीलामी विक्रय सूचना प्रकाशन के फलस्वरूप Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act -2002 की धारा-14 के तहत ऋणकर्ता से संबंधित सम्पत्ति पर दखल कब्जा हेतु न्यायालय में अनुरोध किया गया है। जो विधिवत् एवं न्याय-संगत है। बैंक



द्वारा दखल- कब्जा के संबंध में किये गये अनुरोध को स्वीकार करने योग्य तथा विधि-संगत है।

अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा-करमा, खाता सं०-06 प्लॉट नं०-4024 रकवा-18.55 ए० भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास दर्ज है। आवेदक द्वारा भूमि संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। आवेदक द्वारा बतलाया गया कि भूमि संबंधी सभी मूल कागजात L.I.C को जमा कर दिया गया है।

निष्कर्ष :-

U/s -14 of the SARFAESI Act-2002 के तहत एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० से प्राप्त आवेदन एवं अंचल अधिकारी, माण्डू से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना स्पष्ट है कि :-

1 एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० द्वारा पूर्व में दी Recall Notice Under Section-13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act - 2002 के तहत ऋणकर्ता को किया गया। Bombay High Court Judgment is Case of M/s Trade well & others V/s Indian Bank in Cr WP No. -2767 of 2006 Clearly lays down as follows :- "in our opinion, at the time of passing order under section 14 of the NPA At, the CMM/DM will have to consider only two aspects, he must find out whether the secured asset falls within his territorial jurisdiction and whether notice under section 13(2) of NPA Act is given or not, no adjudication of any kind is contemplated at that stage."

2 एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणकर्ता के द्वारा नोटिस प्राप्ति के उपरान्त ऋण की राशि वापस करने के संदर्भ में को सकारात्मक पहल नहीं की गई है।

3 अंचल अधिकारी, माण्डू से प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास दर्ज है।

आदेश :-

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के प्राप्त मन्तव्य से सहमत होते हुए सरफेसी एक्ट-2002 की धारा-14(1 एवं 2) में निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० के द्वारा किये गये अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि एवं उस पर निर्मित संरचना (निबंधन केवाला सं०-13954, दिनांक-11.09.2006 से प्राप्त भूमि मौजा-करमा, थाना नं०-176, थाना-माण्डू अंतर्गत खाता सं०-06/67/76, प्लॉट नं०-4024/4175, कुल रकवा-16½ डी० भूमि, जिसकी चौहदी, उ०-पुरन मियाँ, द०-सौकत अली, पु०-मनसुर मियाँ एवं प०-समसुद मियाँ को जप्त

कर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु संबंधित एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० को अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त कार्रवाई के क्रम में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

शाधवी शिखा

24.02.2023

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

शाधवी शिखा

24.02.2023

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।